भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4436

उत्तर देने की तारीख 27.03.2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा निर्यात

4436. **श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:**

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यूरोपीय संघ (ईयू) क्षेत्र को किए जाने वाले निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का हिस्सा और मूल्य कितना-कितना है;

(ख) क्या भविष्य में कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) के कार्यान्वयन से यूरोपीय संघ को निर्यात करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सीबीएएम विनियमों की बीच यूरोपीय बाजार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने हैं;

(घ) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा यूरोपीय संघ के वहनीयता मानकों को पूरा करने में सहायता करने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन और कार्बन रिपोर्टिंग तंत्र के लिए कोई पहल की गई है अथवा की जानी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) निर्यात डेटा का रख-रखाव नहीं करता है। तथापि, वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, एमएसएमई के कुल निर्यात के संबंध में यूरोपीय संघ (ईयू) को किए गए एमएसएमई के निर्यात का प्रतिशत हिस्सा 15.25 था तथा कुल निर्यात के संबंध में यूरोपीय संघ (ईयू) को किए गए एमएसएमई के निर्यात का प्रतिशत हिस्सा 4.45 था।

(ख) से (ङ): विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के फ्रेमवर्क के दायरे में, सभी देश मुख्य रूप से स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (फाइटोसैनिटरी) उपायों, तकनीकी व्यापार विनियमों, कोटा प्रतिबंधों, सुरक्षा शुल्कों तथा विभिन्न सततता-संबंधी विनियमों के रूप में आयात पर व्यापार सीमा लगाते हैं, ताकि मानव, पशु और पौधों के जीवन या स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ-साथ सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। तथापि, जब ऐसे व्यापार सीमाओं को व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यापार अवरोधों के रूप में देखा जाता है, तो सरकार सुधारात्मक कार्रवाई के लिए, जैसा भी आवश्यक हो, संबंधित देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर ऐसे सीमाओं को सक्रिय रूप से उठाती है। सरकार ने यूरोपीय संघ (ईयू) और उसके सदस्य देशों के साथ भारत-ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद तथा भारत-ईयू उच्च स्तरीय वार्ता सहित प्रासंगिक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर, चाहे डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क के दायरे में हो या अन्यथा, सभी व्यापार प्रतिबंधात्मक सीमाओं को मजबूती से उठाया है। सरकार ने भारत को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बाजार के रूप में निर्मित करने के उद्देश्य से सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान और मानकों के सामंजस्य के लिए यूरोपीय संघ के साथ भी कार्य किया है।

एमएसएमई को प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में सहायता प्रदान करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों नामतः एमएसएमई विकास कार्यालय, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र और एमएसएमई परीक्षण केंद्रों में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित करके निर्यात संवर्धन की दिशा में एक सहायता प्रणाली विकसित की है। ये ईएफसी एमएसएमई को दस्तावेज़ीकरण, बाजार पहुंच, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी अपनाने और प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करके एमएसएमई की सहायता करते हैं।

एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर अपना कारोबार बढ़ाने में सहायता करने के लिए अन्य पहलों में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की निर्यात स्कीम के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) शामिल हैं, जो प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों आदि में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करती हैं। निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों जैसी पहल निर्यात क्षमता की पहचान करती है, बाधाओं को दूर करती है और स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करती है। ट्रेड कनेक्ट ई- प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक सूचना और मध्यस्थता मंच है, जो नए और मौजूदा दोनों निर्यातकों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करता है।

इसके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई अन्य उपाय भी किए हैं। एमएसएमई के लिए समय पर और पर्याप्त वित्त, उपयुक्त तकनीक और उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करना सरकार की नीतिगत प्राथमिकता है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों में एमएसएमई के पंजीकरण के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम सहायता मंच, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 500 लाख रुपये तक की सीमा तक संपार्श्विक मुक्त ऋण, एमएसएमई की विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, अपव्यय को कम करने, नवीनता को प्रोत्साहित करने, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच एवं उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाने के लिए एमएसएमई चैंपियंस स्कीम शामिल है।

****